भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2760
उत्तर देने की तारीख: 22.12.2021

फीस के लिए उत्पीडन संबंधी रक्षोपाय

2760 डा. अभिषेक मनु सिंघवीः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शुल्क का भुगतान करने को लेकर निजी विद्यालयों के प्रशासन द्वारा विद्यालय के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का उत्पीड़न किए जाने के विरूद्ध रक्षोपायों के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?
(ख) क्या सरकार ने ऐसे उत्पीड़न के विरूद्ध कोई नीति शुरू की है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) पिछले वर्ष के दौरान दर्ज किए गए ऐसे उत्पीडन के मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है और केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन/ वित्त पोषित स्कूलों के अलावा अन्य स्कूल, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार, स्कूलों में फीस और उसके घटकों से संबंधित मामले को संबंधित राज्य सरकार के नियमों और निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। इस मामले में राज्य सरकार के नियमों और अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले ऐसे स्कूलों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार को करनी होती है।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत, छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को आस-पास के स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटों तक आरक्षण और मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के प्रावधान का अधिदेश है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 13 में स्पष्ट रूप से किसी से भी कैपिटेशन शुल्क लेना प्रतिबंधित है।
